

नियम 44 : विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय के विपर्यय की रीति

(1) धारा 8 की उपधारा (4) और धारा 29 की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए, स्टॉक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों और स्टॉक में धारित पूंजी माल से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :

(क) स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टॉक में धारित अर्ध परिरूपित और परिरूपित माल में अंतर्विष्ट इनपुटों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की संगणना अनुपाततः ऐसे तत्स्थानी बीजकों के आधार पर की जाएगी, जिन पर रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा, ऐसे इनपुटों पर प्रत्यय का उपयोग किया गया है;

(ख) स्टॉक में धारित पूंजी माल के लिए, किसी मास में शेष उपयोगी जीवन में अंतर्वलित इनपुट कर प्रत्यय की संगणना उपयोगी जीवन के पांच वर्ष के रूप में ग्रहण करते हुए आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

दृष्टांत :

पूंजी माल चार वर्ष, छह मास और पन्द्रह दिन के लिए उपयोग में रहा है।

शेष उपयोगी जीवन, महीनों में = पांच मास, उस मास के शेष भाग पर ध्यान न देते हुए ऐसे पूंजी माल पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय = सी,

शेष उपयोगी जीवन के लिए निर्धारणीय इनपुट कर प्रत्यय = $5/60$ द्वारा गुणज सी

¹[(2) उपनियम (1) में यथानिर्दिष्ट रकम का केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए अवधारण पृथकतः किया जाएगा।

(3) जहां स्टॉक में धारित इनपुटों से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन रकम का प्राक्कलन, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की प्रभावी तारीख को माल की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर करेगा।]

(4) उपनियम (1) के अधीन अवधारित रकम रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के आउटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और ऐसी रकम के ब्यौरे, जहां ऐसी रकम धारा 18 की उपधारा (4) में

¹ अधिसूचना क्रमांक 17/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 27.07.2017 द्वारा उप-नियम (2) और (3) प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

"(2) ^A[केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर] के इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट रकम का अवधारण पृथक् रूप से किया जाएगा।

^B[(3)] जहां स्टॉक में धारित इनपुटों से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन रकम का प्राक्कलन, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की प्रभावी तारीख को माल की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर करेगा।

^A अधिसूचना क्रमांक 15/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा "एकीकृत कर और केन्द्रीय कर" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

^B अधिसूचना क्रमांक 15/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा उप-नियम (2) पुनःक्रमांकित उप-नियम (3) हुआ था (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

विनिर्दिष्ट किसी घटना के संबंध में है, वहां प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03 में और जहां ऐसी रकम रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के संबंध में है, वहां प्ररूप जीएसटीआर-10 में दिए जाएंगे।

- (5) उपनियम (3) के अनुसार दिए गए ब्यौरे किसी व्यवसायरत चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित होंगे।
- (6) पूंजी माल के संबंध में धारा 18 की उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अवधारण उसी रीति में किया जाएगा, जो उपनियम (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट है और ²[केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर] के इनपुट कर प्रत्यय के लिए पृथक् रूप से रकम का अवधारण किया जाएगा।

परन्तुक जहां इस प्रकार अवधारित रकम, पूंजी माल के संव्यवहार मूल्य पर अवधारित कर से अधिक है, वहां अवधारित रकम आऊटपुट कर दायित्व का भागरूप होगी और उसे प्ररूप जीएसटीआर-01 में दिया जाएगा।

² अधिसूचना क्रमांक 15/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा "आईजीएसटी और सीजीएसटी" के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।